कार्यालय जिलाधिकारी, देवरिया।

संख्या /टी0ए0सी0–2011 दिनांक मार्च 2011

नीलामी सूचना टैक्सी स्टैड (पार्किंग शुल्क)

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पंचायत गौरीबाजार जनपद देवरिया के सीमा बाहर ग्रम रामपुर चौराहा पी.डब्लू.डी. की पटरी जिसे नगर पंचायत अन्तर्गत किये जाने हेतु सीमा वृद्धि का प्रस्ताव शासन मे विचाराधीन है स्थित टैक्सी स्टैंड/पार्किंग शुल्क वर्ष 2011–12 की नीलामी दिनांक 29–03–2011 को 12.00 बजे पूर्वान्ह दिन मंगलवार को जिलाधिकरी महोदय द्वारा गठित सदस्यों तहसीलदार न्यायिक, तहसील देवरिया, ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी देवरिया व अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत गौरी बाजार की अध्यक्षता मे जिलाधिकारी कार्यालय पर होगा। उक्त ठेका/नीलामी लेने के इच्छुक व्यक्ति/ठेकेदार समय से निर्धारित तिथि व नीलामी स्थल पर उपस्थित होकर नीलामी में भाग लें सकते हैं। नीलामी हेतु नियम/शर्तें निम्नलिखित हैः–

1– ठेके की नीलामी वर्ष 2011–2012 (दिनांक 01–04–2011 से 31–03–2012 तक) के लिये की जा रही है।

2– ठेका टैक्सी स्टैण्ड (पार्किंग शुल्क) की नीलामी हेतु बोलीदाता को (व्यक्ति/ठेकेदार) मु0 10,00,000=00(दस लाख) रूपये मात्र नगद जमानत के रूप में बोली प्रारम्भ होने के पूर्व जमा करना अनिवार्य होगा। बिना जमानत जमा किये बोली में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

3– नीलमी में बोली लगाने हेतु इच्छुक व्यक्ति/ठेकेदार को मु0 मु0 10,00,000=00(दस लाख) रूपये मात्र का हैसियत प्रमाण पत्र नीलामी की कार्यवाही प्रारम्भ करने के पूर्व जमा करना होगा।

4– नगर पंचायत गौरी बाजार व किसी भी बकायेदार व्यक्ति/ठेकेदार को बिना बकाया जमा किये बोली मे भाग लेने की अधिकार नहीं होगा।

5– बोली लगाने के इच्छुक व्यक्ति/ठेकेदार को बोली प्रारम्भ होने के पूर्व धनराशि का हैसियत प्रमाण पत्र चरित्र प्रमाण पत्र व निवास प्रमाण पत्र जो सक्षम अधिकारी (जिलाधिकारी) द्वारा छः माह के अन्दर निर्गत हो बोली प्रारम्भ होने के पूर्व जमा करना अनिवार्य होगा।

6– नीलामी समाप्ति के पश्चात उच्चतम बोलीदाता को ठेके की सर्वोच्च बोली की सम्पूर्ण धनराधि तुरन्त नगद जमा करना होगा। ऐसा न करने की दशा में बोली निरस्त कर दी जोयेगी तथा उसके द्वारा जमा जमानत की धनराशि जब्त कर जी जायेगी। तदोपरान्त द्वितीय बोली वाले ठेकेदार को ठेका दिये जाने पर विचार किया जायेगा।

7– ठेके के नीलामी की स्वीकृति सक्षम अधिकारी से होने के बाद ठेकेदार को ठेके की सम्पूर्ण धनराशि एक मुश्त जमा करना होगा। शासन द्वारा निर्गत शासनादेश के क्रम में अनुबन्ध की कार्यवाही होने के बाद ही ठेकेदार को वसूली हेतु अधिकार पत्र निर्गत किया जायेगा।

8– ठेके की सरकरी बोली की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुये नीलामी अधिकारी द्वारा निर्धारित की जायेगी।

9– दैवी आपदा अथवा किसी भी परिस्थिती में ठेकेदार की कोई छूट नहीं दी जायेगी। इस हेतु ठेकेदार कोर्ट की शरण ने नहीं जायेगा।

10– ठेकेदार को स्वीकृत दरों पर ही वसूली करने का अधिकार प्राप्त होगा। स्वीकृत दरों से अधिक वसुली करने अथवा अनुबन्ध पत्र का उल्लघन करने की दशा में ठेकेदार का ठेका निरस्त किया जा सकता है और पुनः नीलामी की कार्यवाही करने पर जो क्षति होगी उसकी वसूली पूर्व ठेकेदार से ही की जायेगी।

11– ठेके के नियमों एवं शर्तों का पालन करने हेतु ठेकेदार बाध्य होगा।

12– ठेकेदार को ठेके में कोई धाटा होने की दशा में नगर पंचायत से कोई क्षतिपूर्ति अथवा जमा धनराशि की वापसी संभव नहीं होगा।

13– सक्षम अधिकारी/समिति एवं अधोहस्ताक्षरी द्वारा जारी आदेश का पालन ठेकेदार को करना अनिवार्य होगा।

14– वसूली हेतु ठेकेदार अपने व्यय से रसीद छपवाकर वसूली अपने कर्मचारियों से कराना होगा तथा वसूली मे भाग लगे कर्मचारियों का परिचय पत्र प्रमाणित कर अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत गौरीबाजार से सत्यापन कराना अनिवार्य होगा।

15– किसी भी विवाद की द ा में जिलाधिकारी महोदय का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

(एन0 लाल)
अपर जिलाधिकारी (वि0 रा0)
देवरिया।

संख्या /तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आव यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– जिलाधिकारी महोदय, देवरिया।
2– उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, देवरिया।
3– समस्त अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद,/नगर पंचायत जनपद देवरिया।
4– समस्त अधि ासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद,/नगर पंचायत जनपद देवरिया।
5– क्षेत्राधिकारी, देवरिया।
6– सम्बन्धित पत्रावली।
7– तहसीलदार देवरिया/नाजिर सदर, कलेक्ट्रेट देवरिया को नोटिस बोर्ड चस्पा दे।
8– जिला संवादाता, स्वतंत्र चेतना/आज दैनिक को प्रकाशन कर बिल भुगतान हेतु प्रस्तुतकरनेहेतू।
9– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (एन.आई.सी.) देवरिया को वेबसाइट पर डालने हेतु।
10– तहसीलदार, न्यायिक, तहसील सदर,
11– ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, कलेक्ट्रेट देवरिया।

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
देवरिया।